

**कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक: 25 अक्टूबर -2018

--: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह दिसम्बर-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	10.12.18 से 15.12.18
2	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	10.12.18 से 15.12.18
3	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2, गाजियाबाद	10.12.18 से 15.12.18
4	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	03.12.18 से 07.12.18
5	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	17.12.18 से 22.12.18
6	पीठ-2, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	26.12.18 से 29.12.18
7	पीठ-प्रथम, इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	03.12.18 से 07.12.18
8	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	17.12.18 से 22.12.18
9	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6-वाराणसी	26.12.18 से 29.12.18
10	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	26.12.18 से 29.12.18
11	पीठ-बरेली	पीठ-बरेली	03.12.18 से 07.12.18
12	पीठ-अलीगढ़	पीठ-अलीगढ़	17.12.18 से 22.12.18
13	पीठ-गोरखपुर	पीठ-गोरखपुर	03.12.18 से 07.12.18

ह0-25.10.18

( प्रेम कला सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 2255 /2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विकरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।